


19/05/26

पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान् अधिवक्ता उपस्थित
स्वगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की
बहस सुनी गई। शेराने बहस कडील प्रार्थी द्वारा
निवेदन किया कि विवाह गल्त आराजी में मुस प्रार्थनी
का 1/3 हिस्सा हे मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा का वाद
निलकारण होने तक स्वगन मोदेश नापुसला कन्फर्म
किया जावे। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में
बनाया कि प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ स्वगन
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वगन लिया गया है
जिसमें प्रथम दुसरा त्रापला सुविधा का सुस्तान
अपुणीध क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से स्वगन
मोदेश चारिज फरमावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं
की बहस की सुना पत्रावली का गहराई से
अध्ययन व अवलोकन किया। मूल वाद का
निलकारण होने तक स्वगन मोदेश नापुसला
कन्फर्म किया जावे ही पत्रावली फेलत शेराने
होकर शाखाले अफतर से एवं नबर से फरमावे।


सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन